# न्यायालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0– 41 /2018–19

रामेश्वर दास,
पिता– स्व0 उगर दास
साकिन– झलपो

30.07.2018 रामेश्वर दास, पिता– उगर दास, साकिन– झलपो, पो0– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा– मोरियावां, खाता सं0– 37, प्लॉट नं0– 222 उनकी भूमि को श्री सोमर दास, पिता– स्व0 बंधन दास एवं उनके दो पुत्र श्री चेतलाल दास वो महादेव दास के द्वारा फर्जी दस्तावेज को आधार बना कर बिक्री कर दिया गया।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर मूल राजस्व कागजातों/साक्ष्य की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 11/08/2018 को उपस्थापित करें।

30/07/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

11.08.2018 अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्ष उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– मोरियावां, थाना नं0– 02 के खाता सं0– 37, प्लॉट नं0– 222, रकबा– 0.90 ए0 भूमि दयाल चमार के नाम से सर्वे–खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि रैयती खाते की है।

मौजा– मोरियावां के पंजी II के पृष्ठ सं0– 8 वॉल्यूम 11 में श्रीमती राधा देवी, पति– शत्रुघन दास के नाम से जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। विक्रेता श्रीमती राधा देवी, पति– शत्रुघन दास क्रेता श्रीमती यशोदा देवी, पति– गणेश यादव को मौजा– मोरियावां के खाता सं0– 37, प्लॉट नं0– 222, रकबा–0.08 ए0 भूमि निबंधित केवाला सं0– 1471 दिनांक 09.02.2011 के द्वारा बिक्री किया गया है। उक्त भूमि का दाखिल–खारिज नहीं हुआ है।

स्थल जांच क्रम में स्थल पर उपस्थित रामेश्वर दास का कहना है कि फर्जी तरीके से उक्त भूमि का 0.03 ए0 एवं 0.10 ए0 भूमि का दो सादा हुकुमनामा श्री सोमर दास पिता– स्व0 बंधन दास एवं इनके दो पुत्र चेतलाल दास वो महादेव दास पिता– सोमर दास के द्वारा प्रयाग यादव वगैरह पिता– स्व0 श्यामलाल यादव मौजा– डुमरडीहा के नाम से बना दिया। प्रयाग यादव वगैरह, पिता– स्व0 श्यामलाल यादव दिनांक 06.10.2016 को उक्त हुकुमनामा के आधार पर श्री अर्जुन राणा वगैरह मौजा– असना इन्दरवा को केवाला कर दिया है। उक्त भूमि पर यशोदा देवी, पति– गणेश यादव का दखल–कब्जा है। चाहरदीवारी देने के समय उक्त व्यक्तियों के द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता है।

उक्त मामला रैयती भूमि से संबंधित है, जिस पर उभय पक्षों का स्वामित्व को लेकर विवाद है। यह मामला स्वत्व से संबंधित है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कागजातों तथा राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त मामला रैयती भूमि से संबंधित है, जिस पर स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है।

अतः यह मामला स्वत्व (Title) से संबंधित है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय में संभव है।

अभिलेख में कार्रवाई ....बंद.... की जाती है।

11/08/2018
लेखापित एवं संशोधित

11/08/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा